

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220758
CG-DL-E-30072020-220758

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2196]
No. 2196]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SHRAVANA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2020

का.आ. 2487(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.3063(अ), 23 अगस्त 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रस्तावित वडोदरा - मुंबई एक्सप्रेसवे के 322.3 से कि.मी.323.6 (तालुका सेवा सदन, अंकलेश्वर, जि. भरुच) (वडोदरा - मुंबई खंड) तक के निर्माण (छह / आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 09 नवम्बर 2019 को "दी हिंदियन एक्सप्रेस" और "दिव्य भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रस्तावित वडोदरा - मुंबई एक्सप्रेसवे के 322.3 सेकि.मी. 323.6 (तालुका सेवा सदन, अंकलेश्वर, जि. भरुच) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित में भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: भरुच			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अंकलेश्वर				
	गांव का नाम: सरफुद्दीन				
1	67	निजी	एग्रीकल्चर	0.4147	बालुभाई मिठाभाई वसावा (६७)
2	68 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.4501	बालुभाई मिठाभाई वसावा (६८ / १)
3	68 / 2	सरकारी (इंडियन रेलवेज)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0099	भारतीय रेल (६८ / २)
4	70 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.7787	पूजिबेन लक्ष्मीबेन, बाबरभाई, लक्ष्मीबेन ते पोचनभाई बाबरभाईकी विधवा, रमेशभाई पोचनभाई, भारमलभाई पोचनभाई, विनोदभाई पोचनभाई, मधुबेन पोचनभाई, शारदाबेन पोचनभाई, गीताबेन पोचनभाई, जशुबेन पोचनभाई, मनीबेन, छगनभाई कोलियाभाई वसावा, ईश्वरभाई

					कोलियाभाई वसावा, सविताबेन कोलियाभाई वसावा, वनीताबेन तुलसीभाई वसावा, भूपेंद्रभाई तुलसीभाई वसावा, अरुनाबेन तुलसीभाई वसावा, ठाकोरभाई शनाभाई वसावा, रमेशभाई शनाभाई वसावा, काशीबेन शनाभाई वसावा, जशीबेन शनाभाई वसावा (७० / १)
5	70 / 2	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.3545	भारतीय रेल (७० / २)
6	71 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	पूजिबेन लक्ष्मीबेन, बाबरभाई, लक्ष्मीबेन ते पोचनभाई बाबरभाईकी विधवा, रमेशभाई पोचनभाई, भारमलभाई पोचनभाई, विनोदभाई पोचनभाई, मधुबेन पोचनभाई, शारदाबेन पोचनभाई, गीताबेन पोचनभाई, जशुबेन पोचनभाई, मनीबेन, छगनभाई कोलियाभाई वसावा, ईश्वरभाई कोलियाभाई वसावा, सविताबेन कोलियाभाई वसावा, वनीताबेन तुलसीभाई वसावा, भूपेंद्रभाई तुलसीभाई वसावा, अरुनाबेन तुलसीभाई वसावा, ठाकोरभाई शनाभाई वसावा, रमेशभाई शनाभाई वसावा, काशीबेन शनाभाई वसावा, जशीबेन शनाभाई वसावा (७१ / १)
7	71 / 2	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.004	भारतीय रेल (७१ / २)
8	Road	सरकारी(रोड)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0299	सड़क (सड़क)
			कुल	2.0518	

[फा. सं. NHAI/Surat/15/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2020

S.O. 2487(E).--- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.3063(E), dated the 23rd August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (Six/Eight laning, etc.), maintenance, management and operation of Proposed Vadodara - Mumbai Expressway, on the stretch of land from design Ch.Km 322.300 to Km 323.600 (Vadodara - Mumbai Section) in District BHARUCH in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in “THE INDIAN EXPRESS” and “DIVYA BHASKAR” both dated the 09th November 2019, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Vadodara – Mumbai Expressway in the stretch of land from Km 322.300 to Km 323.600 (Taluka Seva Sadan, Ankleshwar, Dist.Bharuch) in District BHARUCH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: BHARUCH			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ankleshwar				
	Village: Sarfuddin				
1	67	Private	Agriculture	0.4147	Balubhai Mithhabhai Vasava 67
2	68 / 1	Private	Agriculture	0.4501	Balubhai Mithhabhai Vasava 68/1

3	68 / 2	Government(Indian Railways)	Non Agriculture	0.0099	Indian Railway 68/2
4	70 / 1	Private	Agriculture	0.7787	Pujiben Laxmiben, Babarbhai, Laxmiben Wd/o Pochanbhai Babarbhai, Rameshbhai Pochanbhai, Bharmalbhai Pochanbhai, Vinodbhai Pochanbhai, Madhuben Pochanbhai, Sardaben Pochanbhai, Geetaben Pochanbhai, Jashuben Pochanbhai, Maniben, Chhaganbhai Koliyabhai Vasava, Ishwarbhai Koliyabhai Vasava, Savitaben Koliyabhai Vasava, Vanitaben Tulshibhai Vasava, Bhupendrabhai Tulshibhai Vasava, Arunaben Tulshibhai Vasava, Thakorbhai Shanabhai Vasava, Rameshbhai Shanabhai Vasava, Kashiben Shanabhai Vasava, Jashiben Shanabhai Vasava 70/1
5	70 / 2	Government	Non Agriculture	0.3545	Indian Railway 70/2
6	71 / 1	Private	Agriculture	0.01	Pujiben Laxmiben, Babarbhai, Laxmiben Wd/o Pochanbhai Babarbhai, Rameshbhai Pochanbhai, Bharmalbhai Pochanbhai, Vinodbhai Pochanbhai, Madhuben Pochanbhai, Sardaben Pochanbhai, Geetaben Pochanbhai, Jashuben Pochanbhai, Maniben, Chhaganbhai Koliyabhai Vasava, Ishwarbhai Koliyabhai Vasava, Savitaben Koliyabhai Vasava, Vanitaben Tulshibhai Vasava, Bhupendrabhai Tulshibhai Vasava, Arunaben Tulshibhai Vasava, Thakorbhai Shanabhai Vasava, Rameshbhai Shanabhai Vasava, Kashiben Shanabhai Vasava, Jashiben Shanabhai Vasava 71/1
7	71 / 2	Government	Non Agriculture	0.004	Indian Railway 71/2
8	Road	Government(Road)	Non Agriculture	0.0299	Road Road
			TOTAL	2.0518	

[F. No. NHAI/Surat/15/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.